

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 262
19.07.2016 को उत्तर के लिए
शहरों में प्रदूषण

262. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के नाम क्या हैं और विश्व के प्रदूषित शहरों में उनका कौन सा स्थान है;
- (ख) ऐसे शहरों में से प्रत्येक शहर के प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;
- (ग) देश में वातावरण की वायु गुणवत्ता की समुचित निगरानी करने और उसे दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) देश के शहरों में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)

(क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी), राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और आईआईटी कानपुर के सहयोग से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अन्तर्गत देश भर में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। एनएएमपी नेटवर्क में इस समय 29 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 262 नगरों/शहरों में स्थित 621 कार्यरत निगरानी केन्द्र शामिल हैं। वर्ष 2015 के दौरान परिवेशी वायु गुणवत्ता के वार्षिक औसत संकेन्द्रण के विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए 257 शहरों में से 180 शहरों में पीएम₁₀ के संदर्भ में 60 $\mu\text{g}/\text{एम}^3$ के मानक से अधिक है और 19 शहरों में एनओ₂ के संदर्भ में 40 $\mu\text{g}/\text{एम}^3$ के मानक से अधिक है। सीपीसीबी द्वारा वायु गुणवत्ता के संदर्भ में शहरों को रैंक नहीं दिया जाता है; तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई, 2016 में जारी किए गए परिवेशी वायु प्रदूषण संबंधी डाटा बेस से पता चलता है कि पीएम_{2.5} के संदर्भ में 10 भारतीय शहर विश्व में शीर्ष के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में आते हैं। भारतीय शहरों के नाम, रिपोर्ट किया गया पीएम_{2.5} का संकेन्द्रण, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई उनकी रैंकिंग और 2015 के दौरान सीपीसीबी द्वारा निगरानी किए गए वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर की जानकारी अनुबंध में दी गई है।

(घ) शहरों में रहने वाले लोगों को प्रदूषण मुक्त वायु उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित करना;
- (ii) पर्यावरण संबंधी विनियमनों/संविधियों का प्रतिपादन;
- (iii) परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन हेतु निगरानी तंत्र की स्थापना;
- (iv) गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी इत्यादि), इथनोल मिश्रण इत्यादि जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों की शुरूआत;
- (v) स्वच्छतर उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना;
- (vi) प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल, 2015 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रारंभ किया गया;
- (vii) 63 चयनित शहरों में भारत चरण IV (बीएस- IV) मानकों का क्रियान्वयन और वर्ष 2017 तक बीएस- IV का सार्वभौमिकरण;
- (viii) 1 अप्रैल, 2020 तक बीएस- IV ईंधन मानकों की जगह सीधे बीएस- VI ईंधन मानक लागू करने का निर्णय लिया जाना;
- (ix) प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कर लगाना और हाइब्रिड तथा विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करना;
- (x) अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट सहित विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में व्यापक संशोधन;
- (xi) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया जाना;
- (xii) पत्तियां, बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाने पर रोक;
- (xiii) मेट्रो, बसों, ई-रिक्शा के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के साथ-साथ कार पूलिंग, नियंत्रणाधीन प्रदूषण, लेन अनुशासन, वाहन अनुरक्षण को बढ़ावा देना;
- (xiv) उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु मौजूदा पर्यावरण मानकों का संशोधन और नए मानकों का प्रतिपादन;
- (xv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्दर दिल्ली तथा अन्य राज्यों की सरकारों के साथ अधिकारी और मंत्रालय स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें करना;
- (xvi) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत उद्योगों को निर्देश जारी करना;
- (xvii) प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑन-लाईन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की स्थापना ।

अनुबंध

'शहरों में प्रदूषण' के संबंध में श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 19.07.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 262 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारतीय शहरों के नाम, रिपोर्ट किया गया पीएम_{2.5} का संकेन्द्रण, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई उनकी रैंकिंग और 2015 के दौरान सीपीसीबी द्वारा निगरानी किए गए वायु प्रदूषण का वर्तमान स्तर

| क्र.सं. | भारतीय शहरों के नाम | विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई रैंकिंग | विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिपोर्ट किया पीएम _{2.5} का संकेन्द्रण (µg/एम ³ में) | सीपीसीबी द्वारा की गई निगरानी के आंकड़े (µg/एम ³) | | | |
|---------|---------------------|--|--|---|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | पीएम _{2.5} | पीएम ₁₀ | एसओ ₂ | एनओ _x |
| 1 | ग्वालियर | 2 | 176 | 77 | 125 | 10 | 14 |
| 2 | इलाहाबाद | 3 | 170 | - | 250 | 4 | 26 |
| 3 | पटना | 6 | 149 | - | - | - | - |
| 4 | रायपुर | 7 | 144 | - | 188 | 13 | 36 |
| 5 | दिल्ली | 11 | 122 | 96 | 220 | 5 | 65 |
| 6 | लुधियाना | 12 | 122 | - | 139 | 11 | 27 |
| 7 | कानपुर | 15 | 115 | - | 201 | 6 | 36 |
| 8 | खन्ना | 16 | 114 | - | 122 | 10 | 22 |
| 9 | फिरोजाबाद | 17 | 113 | - | 194 | 9 | 30 |
| 10 | लखनऊ | 18 | 113 | - | 169 | 8 | 28 |

"-" आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।